भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 1403

उत्तर देने की तारीख: 28.07.2026

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के बीच आर्थिक तंगी

1403. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान आर्थिक तंगी, सीमित छात्रवृत्ति तथा कोचिंग और सुविधाओं की कमी की स्थिति का सामना कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने या निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने हेतु कोई नई पहल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्रों सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है,

(घ) उक्त पहल के लिए महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों को आवंटित की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त पहल को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): यह विभाग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य तथा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र सहित पूरे देश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए छात्रवृत्ति और कोचिंग से जुड़ी निम्नलिखित योजनाएं लागू करता है:

i. ओबीसी और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना;
ii. ओबीसी और अन्य के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना;

iii. ओबीसी और अन्य के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा;
iv. ओबीसी और अन्य के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा; और
v. एससी, ओबीसी और पीएम केयर्स चिल्ड्रेन योजना के लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग

उपर्युक्त प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक ओबीसी छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कल्पित आवंटन के आधार पर निधि संवितरित की जाती है।

'स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा', 'कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा' और एसीसी, ओबीसी तथा 'पीएम केयर्स चिल्ड्रन' योजना के लाभार्थियों के लिए 'नि:शुल्क कोचिंग' के तहत, संबंधित योजनाओं की दरों के अनुसार निधि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से सीधे जारी की जाती है।

यह एससी, ओबीसी के आकांक्षी तथा 'पीएम केयर्स चिल्ड्रन योजना' के लाभार्थियों के लिए एक केंद्रीय योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी पाने और प्रतिष्ठित तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्रदान करना है। यह योजना 19 सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित 'डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्रों' (डीएसीई) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जिसमें प्रत्येक केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 100 सीटें आवंटित की गई हैं। इनमें से, महात्मा गांधी हिंदी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा महाराष्ट्र में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक और डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस योजना के तहत कोई भी सूचीबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में स्थित नहीं है।

(ग), (घ) तथा (ङ): छात्रवृत्ति/कोचिंग दरों सहित योजनाओं में संशोधन सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से किया जाता है।
